रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267443
CG-DL-E-07112025-267443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 727] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947
No. 727] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 813(अ).— व्यापार चिन्ह नियम, 2017 में आगे और संशोधन करने के लिए, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित मसौदा नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें इनसे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर, इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसामान्य को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली- 110011 को या ipr4-dipp@gov.in पर ई-मेल द्वारा भेज दिए जाएं।

निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. व्यापार चिन्ह नियम 2017 (इसके बाद इसे मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2(1)(ङ) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"- 2(1)(ङक) "आचार संहिता" का आशय उस आचार संहिता से है, जिसे रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह द्वारा नियम 143(2) के अनुसार समय-समय पर पांचवी अनुसूची और जर्नल में प्रकाशित किया जा सकता है।

2. मूल नियम में, नियम 2(1)(छ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"2(1)(छक)."अनुशासन समिति" का आशय नियम 151घ के अनुसार गठित समिति से है।"

3. मूल नियम में, नियम 2(ड) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"2(डक) नियम 151ग के प्रयोजनों के लिए "अधिकारी" का आशय उस अधिकारी से है, जिसे व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अंतर्गत रजिस्ट्रार व्यापार चिन्ह द्वारा प्राधिकृत किया गया है।"

4. मूल नियम में, धारा 151 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा।

5. मूल नियम में, नियम 151 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"151क.- व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी द्वारा कदाचार: (1) रजिस्ट्रार और/या व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और कार्य करने वाला प्रत्येक व्यापार चिन्ह एजेंट या अटॉर्नी आचार संहिता का पालन करेगा।

(2) रजिस्ट्रार आचार संहिता से संबंधित अद्यतन जानकारियां आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित करेगा।

(3) यदि व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी पांचवी अनुसूची और जर्नल में यथा उल्लिखित निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो वह कदाचार का दोषी माना जाएगा।"

6. मूल नियम में, नियम 151ख के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"151ख. रजिस्ट्रार को कदाचार की शिकायत: (1) कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उक्त नियम की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित ऐसे कदाचार की जानकारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रजिस्ट्रार को प्रपत्र-टीएम-डीपी में शिकायत दर्ज करा सकता है।

7. मूल नियम में, नियम 151ख के बाद निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"151ग. नियम 151ख के अंतर्गत प्राप्त शिकायत से निपटने की प्रक्रिया: (1) नियम 151ख के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, मामले पर विचार करने के लिए शिकायत को अनुशासन समिति को भेजेगा। अनुशासन समिति की अनुशंसा पर विचार करने के बाद, यदि रजिस्ट्रार की राय है कि जांच होनी चाहिए, तो वह शिकायत के साथ एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें ऐसे एजेंट/अटॉर्नी को नोटिस प्राप्त होने के एक महीने के भीतर समर्थक साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

बशर्ते कि यदि अनुशासन समिति को शिकायत में कोई मेरिट नहीं मिलती है, तो वह रजिस्ट्रार को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा शिकायत को खारिज करने की अनुशंसा करेगी।

(2). ऐसे एजेंट/अटॉर्नी से उत्तर प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, मामले में निर्णय हेतु इस उत्तर को अनुशासन समिति को भेजेगा। यदि धारा 151ग(1) के तहत दिए गए निर्देशानुसार उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो रजिस्ट्रार, अनुशासन समिति को रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए मामले में एकपक्षीय निर्णय करने का निर्देश देगा। अनुशासन समिति की अनुशंसा पर विचार करने के बाद, रजिस्ट्रार लिखित रूप में यथोचित आदेश पारित करेगा।

(3). रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से, अनुशासन समिति को किसी भी व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करने का निर्देश दे सकता है, यदि पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर, उसकी राय में ऐसी जांच आवश्यक है।

(4). अनुशासन समिति अपनी कार्यवाही, पीठासीन अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर, भौतिक, वर्चुअल या हाइब्रिड मोड में कर सकती है।

(5). अनुशासन समिति, पीठासीन अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर, पक्षकारों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है।

(6). यदि ऐसा व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी भरोसेमंद और सत्यापन योग्य साक्ष्य के साथ यह निवेदन करता है कि उसने सद्भावनापूर्वक कार्य किया है, या अपने कार्यों में उचित सावधानी बरती है, तो यह माना जा सकता है कि वह व्यावसायिक कदाचार का दोषी नहीं है।

(7). यदि व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी या शिकायतकर्ता सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इनकार करता है, तो समिति ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद, ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है।

(8). अनुशासन समिति, किसी भी स्तर पर, उचित और पर्याप्त कारण दर्ज करने के आधार पर, रजिस्ट्रार को, अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने या बंद करने के संबंध में उचित निर्णय लेने हेतु अनुशंसा कर सकती है।

(9). अनुशासन समिति मामले में न्यायनिर्णयन के लिए अनुशासन समिति द्वारा जांच शुरू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करेगी।

8. मूल नियम में, नियम 151ग के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"151घ. अनुशासन समिति का गठन: (1) रजिस्ट्रार, नियम 151ग के प्रयोजन से एक अनुशासन समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

क.

क. पीठासीन अधिकारी, जो संयुक्त रजिस्ट्रार के पद से नीचे का न हो।

ख. दो वरिष्ठ अधिकारी, जो उप रजिस्ट्रार के पद से नीचे के न हों।

ग. व्यापार चिन्ह कार्यालय में कार्यरत दो एजेंट/अटॉर्नी, जिनके पास व्यापार चिन्ह कार्यालय में कम से कम बीस वर्ष का सक्रिय कार्य-अनुभव हो।

बशर्ते कि अनुशासन समिति के किसी भी सदस्य का विषय-वस्तु और कार्यवाही के किसी भी पक्षकार के साथ हितों का कोई टकराव नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि, रजिस्ट्रार जब भी आवश्यक समझे आवश्यकतानुसार एक या अधिक अनुशासन समितियां गठित कर सकता है।

9. मूल नियम में, नियम 151घ के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"151ङ. 151घ के अंतर्गत गठित अनुशासन समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारीगण: (1) रजिस्ट्रार ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करेगा, जो आचार संहिता के प्रशासन के प्रयोजनार्थ अनुशासन समिति की सहायता के लिए आवश्यक हों।"

10. मूल नियम में, नियम 151ङ के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"151च. आदेश और शास्ति.– (1). रजिस्ट्रार, अनुशासन समिति की सिफारिश पर विचार करने के बाद, ऐसे ट्रेड मार्क्स एजेंट/अटॉर्नी को चेतावनी/निंदा या ट्रेड मार्क्स एजेंट/अटॉर्नी के रजिस्टर से हटाने सहित आवश्यक आदेश या निर्देश पारित कर सकता है।

(2). इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक आदेश दिनांकित, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, सभी पक्षकारों को संप्रेषित और भारतीय बौद्धिक संपदा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा।

11. मूल नियम में, नियम 151च के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"151छ. कार्यवाही की गोपनीयता.- रजिस्ट्रार और अनुशासन समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष की गई कार्यवाही पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और अभिलेख सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे।"

12. मूल नियम में, नियम 151छ के बाद, निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"151ज. नियम 151ख, 151ग, 151च, 151झ के अंतर्गत पत्रादि. - नियम 151ख, 151ग, 151च और 151झ के अंतर्गत सभी पत्रादि केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। ऐसे प्रेषण को साबित करने के लिए, यह दर्शाना पर्याप्त होगा कि पत्रादि उचित रूप से संबोधित किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किया गया था।

13. मूल नियम में, नियम 151ज के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

151झ. समय का विस्तार: रजिस्ट्रार या अनुशासन समिति, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, जहां कार्रवाई में विलंब या विफलता का उचित कारण मौजूद हो, धारा 109 के तहत याचिका दायर करने और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, किसी भी अवधि को एक महीने तक बढ़ा सकती है।

14. मूल नियम में, दूसरी अनुसूची में, प्रपत्र शीर्षक के अंतर्गत "प्रपत्र टीएम-जी" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"–टीएम-डीपी	नियम 151ख	नियम 151ख के तहत व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी द्वारा कदाचार की शिकायत

15. मूल नियम में, दूसरी अनुसूची में, प्रपत्र टीएम-जी के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र अंतर्विष्ट किए जाएंगे, अर्थात:

"प्रपत्र टीएम-डीपी व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) तथा व्यापार चिन्ह, 2017 नियम 151ख के अंतर्गत व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी द्वारा कदाचार की शिकायत [नियम 151ख देखें]	
1. शिकायतकर्ता का विवरण (अनिवार्य): - क. नाम: ख. सर्विस के लिए पता: ग. संपर्क नंबर: घ. ईमेल (सर्विस के लिए):	
2. शिकायत का विवरण: -	
क. व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी द्वारा कथित कदाचार की तिथि, समय और घटना तथा इसकी जानकारी:	
ख. व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी द्वारा कदाचार की शिकायत, जिसमें सभी प्रासंगिक सामग्री विवरण शामिल हों:	
ग. शिकायत के विवरण के समर्थन में साक्ष्य:	
मैं/हम……., शिकायतकर्ता यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि यहां उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी जानकारी सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।	
शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर.....
उस वास्तविक व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं:	(……)
	सेवा में, रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह कार्यालय .....
नोट - जो लागू न हो उसे काट दें।	

16. मूल नियम में, चौथी अनुसूची के बाद निम्नलिखित पांचवी अनुसूची को अंतर्विष्ट किया जाएगा: -

"-पांचवी अनुसूची

[नियम 151क (3) देखें]

व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी के लिए आचार संहिता, 2025

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी/प्रतिनिधियों को निम्नानुसार निर्धारित आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया जाता है:

1. व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी/प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता:

प्रत्येक व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी/प्रतिनिधि (इसके पश्चात एजेंट/अटॉर्नी) पेशेवर आचरण के स्थापित मानकों का पालन करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पेटेंट आवेदक के हित में करेगा। ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन में निम्नलिखित शामिल है:

(क) प्रत्येक पक्षकार के लिए एक अनुबंध पत्र जारी करेगा, जिसमें सेवा के दायरे का उल्लेख होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पक्षकार एजेंट/अटॉर्नी के कार्यक्षेत्र को समझते हैं;

(ख) उचित सावधानी के साथ और ध्यानपूर्वक कार्य करेगा और पक्षकारों के साथ हर समय अत्यंत सद्भावना और ईमानदारी के साथ व्यवहार करेगा;

(ग) प्रदान की गई एजेंट/अटॉर्नी सेवाओं से संबंधित ज्ञान और कौशल का स्तर बनाए रखेगा।

(घ) हर समय सभी लागू नियमों, कानूनों, विनियमों, आदेशों और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ङ) कोई भी एजेंट/अटॉर्नी किसी भी अनैतिक कार्य में संलग्न नहीं होगा, न ही कोई गलतबयानी या कोई झूठा, भ्रामक, अस्पष्ट, गलत या कपटपूर्ण दावा, वारंटी या कथन करेगा, न करने की अनुमति देगा या न ही करने का कारण बनेगा।

(च) कार्यवाही के दौरान हर समय शालीन रूप से उपस्थित होगा।

क. व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी/प्रतिनिधि: -

क. प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा और अपने कर्मचारियों, कानूनी सहायकों, जिनमें क्लर्क और पैरा-लीगल शामिल हैं, पर सीधा पर्यवेक्षण बनाए रखेगा, जिन्हें वह कुछ कार्य सौंप सकता है।

ख. आवश्यक विशेषज्ञता का प्रयोग करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी लगन, कुशलता और सावधानी से करेगा तथा अपने पक्षकार के लिए एक विश्वसनीय सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।

ग. पक्षकार के मामलों से संबंधित समय-सीमाओं का रिकार्ड रखने, पक्षकार के साथ पत्राचार का लिखित रिकॉर्ड रखने, पक्षकार द्वारा उसे सौंपे गए मामलों की प्रगति पर नज़र रखने और पक्षकार के मामलों की प्रगति की समय पर रिपोर्ट देने के लिए उचित प्रयास करेगा;

घ. व्यापार चिन्ह कार्यालय द्वारा जारी सभी रिपोर्टों/नोटिसों या पत्रों/पत्राचार की प्रतियां अपने पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा और पक्षकार को उन्हें समझने और समय पर उसका उत्तर देने में सहायता करेगा;

ङ. पक्षकार की गोपनीयता बनाए रखेगा, और पक्षकार की लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को पक्षकार की कोई भी गोपनीय जानकारी नहीं देगा और गोपनीय दस्तावेज़ की सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएगा, सिवाय जहां न्यायालय द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो या उस जानकारी के सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध हो जाने के बाद ऐसा करेगा;

च. केवल अपने पक्षकार के निर्देशों पर कार्य करेगा और ऐसे निर्देशों के बिना या उनसे आगे बढ़कर कोई कार्य नहीं करेगा; सद्भावनापूर्वक और पक्षकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु उसके हित में की गई कार्रवाइयों को इससे छूट दी जाएगी;

छ. हितों के किसी भी टकराव के मामले में किसी भी व्यावसायिक सेवा/गतिविधि के आरंभ होने पर या उससे पहले या यथासंभव शीघ्र उसका खुलासा करेगा और भविष्य में उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव

से निपटने का प्रबंधन के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखेगा। कोई भी व्यक्तिगत हित जो पक्षकार के मामले को प्रभावित कर सकता है, उसे पक्षकार के समक्ष पूरी तरह से विस्तार से प्रकट करेगा।

ज. अपने पक्षकार को सख्त या अनुचित प्रथाओं का सहारा लेने या ऐसा कुछ भी करने से बचने और रोकने के लिए पूर्ण प्रयास करेगा, जो कि व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी को स्वयं भी नहीं करना चाहिए।

ख. कोई भी एजेंट/अटॉर्नी:-

क. स्वामी, व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार और अन्य व्यापार चिन्ह अधिकारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं करेगा।

ख. अपने आप को ऐसे किसी भी ऐसे आचरण में शामिल नहीं करेगा जिसे करने से या जिसके न करने से, जानबूझकर व्यापार चिन्ह संबंधी कानूनों या लागू प्रशासनिक आदेशों के उचित कार्यान्वयन में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होता हो।

ग. ऐसे तथ्यों को व्यापार चिन्ह कार्यालय से जानबूझकर नहीं छिपाएगा, जिससे स्वयं या उनके पक्षकार को अनुचित लाभ हो;

घ. किसी भी व्यापार चिन्ह आवेदन में आवेदकों की पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत या उनमें बदलाव नहीं करेगा, न ही गलत तरीके से स्वयं को आवेदक के रूप में पेश करेगा।

ङ. झूठे या गलत इरादे से, स्वयं को या अपने कार्यालय के सदस्य को, या अपने रिश्तेदारों को या अपने कार्यालय के सदस्यों के रिश्तेदारों को किसी भी व्यापार चिन्ह आवेदन या विरोध के संबंध में आवेदक या शोधकर्ता या विरोधी के रूप में विचारार्थ पेश नहीं करेगा और न ही ऐसे कार्यों का कारण बनेगा;

च. पक्षकार से स्पष्ट निदेश प्राप्त होने के बावजूद वैधानिक समय-सीमा का पालन करने में विफल नहीं होगा और न ही इसकी उपेक्षा करेगा।

छ. व्यापार चिन्ह आवेदन के अभियोजन के किसी भी चरण में पक्षकार या व्यापार चिन्ह कार्यालय को नकली या फेब्रिकेटेड दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करेगा;

ज. व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 (1999 का 47) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत गतिविधियों के निष्पादन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति की क्षमता में पक्षकार से प्राप्त राशि का दुरुपयोग या गबन नहीं करेगा;

झ. पक्षकार को अनैतिक योजनाओं या प्रस्तावों के आधार पर व्यापार चिन्ह दायर करने या दिलाने हेतु प्रेरित करने के लिए अपनी सेवाओं, अपनी योग्यताओं या अपने अनुभव के बारे में ऐसे बढ़ा-चढ़ाकर या झूठे दावे नहीं करेगा जिसमें व्यावसायिक सेवाओं का वस्तुकरण हो, भविष्य में दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में प्रस्ताव, छूट, या अन्य कोई लेन-देन संबंधी प्रचार-प्रसार जैसे कार्य नहीं करेगा जिससे पेशे की प्रामाणिकता कमजोर होती हो।

ञ. किसी भी गैर-एजेंट/अटॉर्नी को व्यापार चिन्ह कार्यालय के समक्ष किसी भी चरण में उपस्थित होने या कोई कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

ट. व्यापार चिन्ह कार्यालय के किसी अधिकारी के साथ सांठगांठ करके या किसी अन्य माध्यम से कार्यालय द्वारा दायर/लंबित या प्रदत्त किसी लंबित कार्यवाही या अधिकार के संबंध में निर्णय या परिणाम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे मामलों के संबंध में व्यापार चिन्ह कार्यालय के किसी भी अधिकारी के साथ निजी या अनौपचारिक पत्राचार पूर्णतया वर्जित है।

ठ. व्यापार चिन्ह प्रदान करने या अस्वीकार करने के संबंध में कोई भी झूठा वादा या आश्वासन नहीं देगा, और न ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यापार चिन्ह कार्यालय के अधिकारियों पर अनुचित प्रभाव डालने में सक्षम होने का दावा करेगा।

ङ. व्यापार चिन्ह प्रदान करने की सफलता दर या गारंटी के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने सहित झूठे, भ्रामक या गुमराह करने वाले विज्ञापन जारी नहीं करेगा।

ढ. अपने संपर्क को बनाए रखने के लिए पक्षकारों को व्यापार चिन्ह की विशिष्टता के संबंध में, इसमें शामिल प्रक्रियात्मक चरणों या संभावित परिणामों के बारे में गुमराह नहीं करेगा।

ण. व्यापार चिन्ह प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में आवेदक के ज्ञान की कमी का लाभ उठाने सहित व्यापार चिन्ह होने की समय सीमा को बढ़ा-चढ़ाकर बताने, कानूनी आवश्यकताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने, या उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त न करने पर प्रतिकूल परिणामों का अनुचित डर पैदा करने जैसे किसी भी गलत तरीके का उपयोग करने या किसी भी तरीके से आवेदकों को अनुचित रूप से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा;

त. अपने पक्षकारों को गुमराह करने या व्यापार चिन्ह प्रदान करने जैसे परिणामों का आश्वासन या गारंटी प्रदान करने सहित अनुचित, अनैतिक, या अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होगा;

थ. किसी पक्षकार की फाइलों को अनुचित रूप से नहीं रोकेगा या उनके द्वारा अपना अभ्यावेदन वापस लेने का निदेश दिए जाने पर उन्हें उचित अवधि के भीतर उसे वापस करने में असफल भी नहीं होगा;

द. भ्रामक विज्ञापन या पक्षकारों से अनुचित आग्रह या अपनी विशेषज्ञता के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर या असत्य दावा नहीं करेगा। उनकी संसूचना सत्य, सटीक और पेशे की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियम, जिनमें नियम 36 (समय-समय पर संशोधित) शामिल है, जो विज्ञापनों और आग्रह किए जाने पर लागू होता है, एजेंट पर भी यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा।

ध. व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 या व्यापार चिन्ह नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा या किसी भी तरीके से उनके विरुद्ध कार्य नहीं करेगा।

ग. निम्नलिखित परिस्थितियों के अलावा कोई भी एजेंट/अटॉर्नी बिना तर्कसंगत और उचित कारण के व्यापार चिन्ह आवेदन संबंधी कार्य से पीछे नहीं हटेगा:

क. निर्धारित अवधि के भीतर पेशेवर शुल्क का भुगतान न करने पर, या

ख. यदि वह अपने पक्षकार से निदेश प्राप्त करने या पक्षकार का पता लगाने में असमर्थ हो; बशर्ते एजेंट/अटॉर्नी अपनी ओर से किए गए उचित प्रयासों को दर्शाने में सक्षम हो; या

ग. एजेंट/अटॉर्नी इस कार्य से सेवानिवृत्त होना चाहता हो; या

घ. उसके प्रति पक्षकार का आचरण अपमानजनक या दुर्भावनापूर्ण हो।

बशर्ते कि अपनी सेवाएं वापस लेने से पहले पक्षकार को कम से कम 30 दिन पहले लिखित में नोटिस दिया जाएगा;

2. व्यापार चिन्ह कार्यालय के प्रति एजेंट/अटॉर्नी के कर्तव्य. -

1. प्रत्येक एजेंट/अटॉर्नी को व्यापार चिन्ह कानूनों से संबंधित नवीनतम संशोधनों, नियमों और विनियमों से पूरी तरह अवगत होना चाहिए। कोई भी एजेंट/अटॉर्नी कानून या उसकी व्याख्या के बारे में अनभिज्ञता का दावा नहीं कर सकता।

2. एजेंट/अटॉर्नी को यह सुनिश्चित करना होगा कि दायर किए गए सभी दाखिल दस्तावेज़, आवेदन और पत्राचार आवश्यक कानूनी और प्रक्रियात्मक मानकों को पूरा करते हों। व्यापार चिन्ह कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात सटीक, पूर्ण और समय पर प्रस्तुत किए जाएं।

3. एजेंट/अटॉर्नी किसी भी रूप में ऐसा कोई दस्तावेज़, पत्राचार या विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा, जिसमें कोई वास्तविक रूप से गलत या भ्रामक विवरण हो; या जिसमें लापरवाही से प्रस्तुत किए गए विवरण या

जानकारी शामिल हो; या ऐसी किसी भी जानकारी को छोड़ दे या अस्पष्ट रखे जिसे शामिल करना आवश्यक हो और जहां ऐसी चूक या अस्पष्टता भ्रामक हो सकती है;

बशर्ते कि यदि झूठे/भ्रामक विवरण के बारे में पता चलने पर संसूचना, विवरण या दस्तावेज़ में विधिवत सुधार कर दिया जाता है तो व्यापार चिन्ह एजेंट/अटॉर्नी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

4. कोई भी एजेंट/अटॉर्नी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगा जिसमें घूस लेना, पद का दुरुपयोग या सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग शामिल है, लेकिन इन निषिद्ध कार्यों की सूची यहीं तक सीमित नहीं है;

5. प्रत्येक एजेंट/अटॉर्नी किसी भी कार्यवाही में व्यापार चिन्ह कार्यालय के समक्ष पेशेवर तरीके से आचरण करेगा। कोई भी एजेंट/अटॉर्नी किसी भी कार्यवाही में या व्यापार चिन्ह कार्यालय के किसी भी अधिकारी के साथ संवाद करते समय आपत्तिजनक, अपमानजनक, असभ्य, अभद्र हावभाव या अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करेगा;

6. कोई भी एजेंट/अटॉर्नी व्यापार चिन्ह कार्यालय के किसी अधिकारी की निर्णय लेने की प्रक्रिया को इस प्रकार प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा जिससे एजेंट/अटॉर्नी या उसके पक्षकार को अनुकूल परिणाम प्राप्त हो।

7. कोई भी एजेंट/अटॉर्नी किसी प्रतिकूल निर्णय के प्रत्युत्तर में उच्च प्राधिकारियों से संपर्क करने या न्यायालय में अपील दायर करने की धमकी देकर व्यापार चिन्ह कार्यालय के किसी भी अधिकारी को प्रभावित करने या धमकाने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा व्यवहार बाहुबल का प्रयोग, गैर-पेशेवर और नैतिक आचरण के सिद्धांतों के विरुद्ध माना जा सकता है।

3. साथी पेशेवरों के प्रति कर्तव्य:

एक एजेंट/अटॉर्नी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए: -

क. अपने साथी पेशेवरों के साथ शिष्टाचार और सम्मान पूर्वक पेश आना चाहिए।

ख. अन्य व्यापार चिन्ह एजेंटों/अटॉर्नी के कार्य के बारे में अपमानजनक संदर्भ या निराधार तुलना नहीं करनी चाहिए।

ग. अनुचित प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होना चाहिए या अनैतिक तरीकों या प्रथाओं के माध्यम से पक्षकारों को अन्य एजेंटों/अटॉर्नी से दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

घ. अपनी पेशेवर सेवाओं या अपने नाम का उपयोग किसी भी अनधिकृत कानूनी कार्य को बढ़ावा देने या शुरू करने के लिए नहीं करने देना चाहिए।"

[फा.सं. पी-24038/1/2025-आईपीआर-III]

हिमानी पाण्डे, अपर सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 06 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.119 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

UNOFFICIAL Simplifying Compliance

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2025

G.S.R. 813 (E)— The following draft rules to further amend the Trade Marks Rules, 2017 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 157 of the Trade Marks Act, 2017, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Vanijya Bhawan, New Delhi- 110011 or by e-mail at ipr4-dipp@nic.in

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. In the Trade Marks Rules 2017 (hereinafter referred to as the Principal Rule), after Rule 2 (1)(e), following shall be inserted namely: -

"- 2(1)(ea). "Code of Conduct" means the Code of Conduct which may be published from time to time by the Registrar of Trade Marks in the Fifth Schedule and journal as per Rule 143(2).

2. In Principal Rule, after Rule 2 (1)(g), following shall be inserted namely: -

-2(1) (ga). "Disciplinary Committee" means a committee constituted as per Rule 151D."

3. In Principal Rule, after Rule 2(m), following shall be inserted namely: -

"2(ma). "Officer" for the purposes of Rule 151C means an Officer who is authorized by the Registrar of Trade Marks under Section 3 of the Trade Marks Act, 1999."

4. In Principal Rule, in Rule Clause (b) of Sub Section (2) of Section 151 shall be omitted.

5. In Principal Rule, after Rule 151, following shall be inserted namely: -

"**151A.- Misconduct by a Trade Mark Agent/attorney:** (1) Every trade Mark agent or attorney appearing and acting before the Registrar and/or any other officer appointed as per the provision of Section 3 of the Trade Marks Act, 1999 shall abide by and follow the code of conduct;

(2) The Registrar may publish updates pertaining to Code of Conduct in the Official Journal.

(3) The Trade Marks agent/attorney shall be liable to be guilty of misconduct, if he/she acts in contravention to the prescribed Code of Conduct as mentioned in the Fifth Schedule and Journal."

6. In Principal Rule, after Rule 151B, following shall be inserted namely: -

"**151B. Complaint of Misconduct to Registrar:** (1) Any aggrieved person may, file a complaint in Form-TM-DP through electronic means to the Registrar within six months from the date of knowledge of such misconduct mentioned under The Fifth Schedule of the said rules.

7. In Principal Rule, after Rule 151B, following shall be inserted namely: -

"**151C. Procedure to deal with complaint received under Rule 151B:** (1) Upon receipt of complaint under rule 151B, the Registrar shall, refer the complaint to Disciplinary Committee to consider the matter. After considering the recommendation of the Disciplinary Committee, if the Registrar is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice accompanied by the complaint requiring such agent/attorney to file reply along with supporting evidence and documents within one month from receipt of the notice.

Provided that, if Disciplinary Committee found no merit in the complaint, shall submit a report to that effect to the Registrar and recommend the dismissal of the complaint.

(2). Upon receipt of the reply from such agent/attorney, Registrar shall, refer the reply to Disciplinary Committee for adjudication of the matter. If no reply is received as directed under Rule 151C(1), Registrar shall direct Disciplinary Committee to adjudicate the matter ex-parte, considering evidence on the record. After considering, the recommendation of the Disciplinary Committee, Registrar shall pass appropriate order in writing.

(3). The Registrar may, on his own motion, direct the Disciplinary Committee to initiate proceedings against any Trade Mark agent/ attorney, if, on the basis of sufficient evidence, he is of the opinion that an inquiry is warranted.

(4). The Disciplinary Committee may conduct its proceedings, either physical, virtual or hybrid mode as the Presiding Officer may deem appropriate.

(5). The Disciplinary Committee may allow further representation from the parties as the Presiding Officer may deem appropriate.

(6). If such Trade Marks Agent/attorney with reliable and verifiable evidence submits that he has acted in good faith, or has exercised reasonable due diligence in his actions, he may not be deemed to be guilty of professional misconduct.

(7). In case where, the Trade Marks agent/attorney or the complainant fails, neglects or refuses to appear before the Disciplinary Committee on the date fixed for hearing, the Committee shall proceed with its inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(8). The Disciplinary Committee may recommend, at any stage to terminate or drop disciplinary proceedings for just and sufficient cause recorded in writing to the Registrar, to take appropriate decision.

(9). The Disciplinary Committee shall complete the proceeding within three months from the date of commencement of inquiry by Disciplinary Committee for adjudication of matter.

8. In Principal Rule, after Rule 151C, following shall be inserted namely: -

"**151D. Constitution of Disciplinary Committee:** (1) The Registrar shall constitute a Disciplinary Committee for the purpose of Rule 151C consisting of the following:

a. Presiding officer, who is not below the rank of a Joint Registrar.

b. Two Senior officials, who are not below the rank of Deputy Registrar.

c. Two Practicing Agent/Attorneys before Trade Marks Office, who at least have twenty years of active work experience before Trade Marks Office.

Provided that no members of disciplinary committee shall have any conflict of interest with subject matter and any party to the proceeding.

Provided further that Registrar may constitute one or more Disciplinary Committee as and when deems necessary."

9. In Principal Rule, after Rule 151D, following shall be inserted namely: -

"**151E. Officer and other staff of Disciplinary Committee constituted under 151D:** (1) The Registrar shall assign such officers and other staff members as may be necessary for assisting the Disciplinary Committee for the purpose of administration of the Code of Conduct."

10. In Principal Rule, after Rule 151E, following shall be inserted namely: -

"**151F. Order and Penalties.** – (1). The Registrar, upon consideration of the recommendation from the Disciplinary Committee, may pass necessary orders or directions including warning/censure or removal of such Trade Marks Agent/attorney from Register of Trade Marks Agent/attorney.

(2). Every order under these rules, shall be dated, digitally signed, communicated to all the parties, and also uploaded on the official website of Intellectual Property India."

11. In Principal Rule, after Rule 151F, following shall be inserted namely: -

"**151G. Confidentiality of Proceedings.** – The proceedings before the officer authorized by the Registrar and the Disciplinary Committee shall be kept strictly confidential, and records shall not be open to public."

12. In Principal Rule, after Rule 151G, following shall be inserted namely: -

"**151H. Communication under Rule 151B, 151C, 151F, 151I.-** All Communications under rule 151B, 151C, 151F and 151I shall be transmitted through electronic means only. In proving such transmission, it shall be sufficient to show that the communication was properly addressed and transmitted through electronic means.

13. In Principal Rule, after Rule 151H, following shall be inserted namely: -

151I. Extension of Time: The Registrar or the Disciplinary Committee may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period up to one month, upon petition made under Section 109 and payment of prescribed fee.

14. In Principal Rule, in SECOND SCHEDULE, under heading FORMS after "Form TM-G", and the entries related thereto, following shall be inserted namely: -

"—TM-DP	Rule:151B	COMPLAINT FOR MISCONDUCT BY TRADE MARKS AGENT/ATTORNEY UNDER RULE 151B

15. In Principal Rule, in SECOND SCHEDULE, after Form TM-G, following forms shall be inserted, namely:

"FORM TM-DP THE TRADE MARKS ACT,1999 (47 OF 1999) and THE TRADE MARKS RULES, 2017 COMPLAINT FOR MISCONDUCT BY TRADE MARKS AGENT/ATTORNEY UNDER RULE 151B [See Rule:151B]	
1. Particulars of Complainant (mandatory): - a. Name: b. Address for service: c. Contact No.: d. Email (for service):	
2.Particulars of Complaint: -	
a. Date, time, and instance of commission and knowledge of the alleged Misconduct by Trade Marks Agent/attorney:	
b. Complaint of misconduct by Trade Marks Agent/attorney setting out all relevant material particulars:	
c. Evidence in support of the Complaint:	
I/We ....., the Complainant herein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.	

3.Signature of the Complainant:	Signature…….
4. Name of the natural person who has signed:	(…….)
	To, The Registrar, The Trade Marks Office, at ……
Note. -Strike out whichever is not applicable.”	

16. In Principal Rule, after The Forth Schedule following The Fifth Schedule, shall be inserted: -

“-THE FIFTH SCHEDULE

[See Rules 151A(3)]

The Code of Conduct Trade Mark Agent/Attorney, 2025

Trade Mark Agent/attorney/Attorneys are directed to follow the said Code of Conduct stipulated as under:

1. Code of Conduct for Trade mark Agent/attorney/Attorney:

Every Trade mark agent/attorney/Attorney (hereinafter Agent/Attorney) shall follow recognized standards of professional conduct and discharge their duties in the interest of the Trade mark applicant. In the discharge of such duties:

(a) issue a letter of engagement for each client, mentioning scope of service to ensure that the clients understand scope of work of Agent/Attorney;

(b) shall act with reasonable care and due diligence and conduct its dealing with clients with utmost good faith and integrity at all times;

(c) must maintain knowledge and skills relevant to the provided Agent/Attorney.

(d) shall at all times ensure compliance with all applicable laws, regulations, orders and any other legal requirements.

(e) an Agent/Attorney shall not engage in any unethical practice, nor make, permit or cause to be made any misrepresentation, or any false, misleading, ambiguous, inaccurate, or fraudulent claim, warranty, or statement.

(f) should appear in proceedings at all times only in presentable manner.

A. Trade mark agent/attorney/Attorney shall: -

a) be fully responsible for all services rendered and shall maintain direct supervision over staffs, legal assistants, including clerks and paralegals to whom he may delegate certain tasks.

b) apply necessary expertise and discharge his duties with due diligence, skill and care and act as reliable advisor to his client.

c) make reasonable efforts to record deadlines arising from client’s matters, maintain written record of communications with client, track the progress of matters entrusted to him by his client and timely report progress of client’s matters to him;

d) provide copies of all reports/notices or letters/communications issued by the Trade Marks office to his/her clients and assist the client in understanding and responding timely to the same;

e) maintain client confidentiality, and shall not disclose any confidential information of a client to any third party without the client’s written consent and take appropriate steps to maintain the security of

confidential document, except where required by a court of law or after the information becomes available in public domain;

f) act only on the instructions of his/her client and shall not act without such instructions or go beyond such instructions; actions taken in good faith and in the interests of a client for preservation of his intellectual property rights shall be exempted;

g) disclose any conflicts of interest at or before the commencement of any professional service/ activity or at the earliest possible opportunity and have adequate arrangements for the management of conflicts of interest that may arise in future. Any personal interest that may impact the client's case must be fully disclosed in detail to the client.

h) use his best efforts to restrain and prevent his client from resorting to sharp or unfair practices or from doing anything which the Trade Marks Agent/attorney himself ought not to do.

B. No Agent/attorney shall: -

a) behave in a discourteous manner with the proprietor and the Registrar of Trade Marks and other Trade Marks officers.

b) not engage in any conduct, whether by act or omission, that knowingly obstructs or prejudices the proper implementation of trade mark laws or prevailing administrative orders.

c) knowingly conceal facts before the Trade Marks Office such as to derive undue advantage to himself or his client;

d) misrepresent or manipulate the identity of applicants in any Trade Marks application, nor falsely identify himself/herself as the applicant.

e) falsely or in bad faith, cause himself or member of his office, or his relatives or relatives of members of his office as applicant or opponent in any Trade mark application or opposition for consideration or otherwise cause such acts;

f) fail or neglect to adhere to statutory timelines despite holding clear instructions from client,

g) provide forged or fabricated documents to a client or the Trade Marks Office at any stage of prosecution of Trade mark application;

h) misappropriate or embezzle the sums received from a client in fiduciary capacity for performance of activities under the Trade Marks Act 1999 (47 of 1999) or the Rules made thereunder;

i) permit any non-Agent/attorney to appear or conduct any proceeding at a stage thereof before the Trade Marks Office;

j) directly or indirectly influence the decision or outcome of a pending proceeding or right filed/pending or granted by the Office either by colluding with any official of the Trade Marks Office or through any other means. Private or unofficial communications with any official of the Trade Marks Office concerning such matters are strictly prohibited.

k) make any false promises or assurances regarding the grant or refusal of trade marks, nor claim, directly or indirectly, to possess undue influence over officials of the Trade Marks Office.

l) engage in issuing false, deceptive, or misleading advertisements, or improper solicitation of clients or make exaggerated or untruthful claims, including exaggerated claims of the expertise they possess or about success rates or guarantees of Trade mark registration. Their communications must be truthful, accurate, and in keeping with the dignity of the profession. The Rule framed by the Bar Council of India, including Rule 36 (as amended from time to time) thereof that applies to advertisements and solicitation shall also apply *mutatis mutandis* to an Agent/attorney.

m) mislead clients about the distinctiveness of their Trade Marks, the procedural steps involved, or the potential outcomes to secure their engagement

n) use any coercive method or in any manner trying to unduly influence applicants such as by exaggerating deadlines, misrepresenting legal requirements, or creating undue fear of adverse consequences to appoint them as their representative, including by exploiting an applicant's lack of knowledge about Trade Marks procedures;

o) mislead his clients or engage in improper, unethical, or illegal activities including providing assurance or guarantees of outcomes such as grant of a Trade Marks;

p) withhold files of a client unreasonably or fail to return the files within a reasonable period upon being directed to withdraw his representation;

q) contravene, or in any manner act inconsistently with, the provisions of the Trade Marks Act, 1999, or the Trade Marks Rules, 2017.

C. No Agent/attorney shall withdraw from a Trade mark application without just and reasonable cause, except: -

a) for non-payment of professional charges within a stipulated period, or

b) if he is unable to obtain instructions from his client or locate the client; provided the Agent/attorney is able to show exercise of reasonable due diligence on his part; or

c) the Agent/attorney seeks to retire from practice; or

d) the client's conduct is dishonorable or in bad faith.

Provided that the withdrawal would be preceded by a notice in writing of not less than 30 days to the client;

2. Agent/attorney duties towards the Trade Marks Office. -

(1) Every Agent/attorney must be fully updated with the latest amendments, rules and regulations concerning Trade Mark laws. No Agent/attorney can plead ignorance of law or its interpretation.

(2) An Agent/attorney must ensure that all filings, applications, and correspondences meet the required legal and procedural standards. Documents submitted to the Trade Marks Office should be accurate, complete, and timely submitted.

(3) An Agent/attorney shall not submit any document, issue communication or statement in any form that contains a materially false or misleading statement; or contains statements or information furnished negligently; or omits or obscures any information required to be included where such omission or obscurity would be misleading;

Provided that no action shall be taken against the Trade Mark Agent/attorney if the communication, statement or document is duly rectified upon learning of the false/misleading statement.

(4) An agent/attorney shall not do or commit any act prohibited under the provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988, including but not limited to bribery, cause misuse of office, or misappropriation of public resources;

(5) Every agent/attorney shall conduct himself in a professional manner before the Trade Marks office in any proceeding. No agent/attorney shall use objectionable, abusive, derogatory, indecent gesture or obscene language in any proceedings or otherwise while communicating with any official of the Trade Marks Office;

(6) No agent/attorney shall attempt to influence the decision-making process of an official of the Trade Marks Office so as to result in favorable outcome to the agent/attorney or his client.

(7) No agent/attorney shall attempt to influence or intimidate any official of the Trade Marks Office by threatening to approach higher authorities or file an appeal in Court of Law, in response to an unfavorable decision, as such behavior may be deemed coercive, unprofessional, and against the principles of ethical conduct.

UNICOMPLYCATE Simplifying Compliance

3. DUTIES TOWARDS FELLOW PROFESSIONALS:

An agent/attorney must: -

a) treat their fellow professionals with courtesy and respect.

b) not make disparaging references or unsubstantiated comparisons to the work of other Trade Mark agent/attorney.

c) not engage in unfair competition or attempt to lure or entice clients away from other agent/attorney through unethical means or practices.

d) not permit his professional services or his name to be used for promoting or starting any unauthorised practice of law."

[F.No. P-24038/1/2025-IPR-III]

HIMANI PANDE, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India; Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 119 (E), dated 6th day of March 2017.

UNCOMPLYCATE Simplifying Compliance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.07 15:38:51 +05'30'